

पत्रांक - 12/3. 6 - 16/2012/36

आरबैंड - सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

सेवा,

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

- सह - संयुक्त सचिव,

आरबैंड, रांची।

सेवा में,

सचिव,

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,

शिक्षा केंद्र - 2, कम्यूनिटी सेक्टर,

पीत पिटान, विकास मार्ग,

नई दिल्ली - 110002

रांची, दिनांक 13/04/2013


विषय : गौरव आवासिय उच्च विद्यालय, खलीडीह, थाना थोकाने, आरबैंड 827013 को सी.बी.एस.ई. (नई दिल्ली) से सम्बन्धता प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में

महाराश,

उपर्युक्त विषयक, गौरव आवासिय उच्च विद्यालय, खलीडीह, थाना थोकाने, आरबैंड 827013 से प्राप्त आवेदन (अनापत्ति नॉनगन) पर समस्त विद्यार्थीपर्याप्त राज्य सरकार ने इस विद्यालय को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली (सी. बी. एस. ई., नई दिल्ली) से सम्बन्धता प्राप्त करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या - 691 दिनांक - 13/04/2013 के आलोक में निम्नलिखित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है :-

- 1) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र सैम्बलितक होगा तथा सी. बी. एस. ई., नई दिल्ली अपने निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यालय का निरीक्षण करेंगे एवं अपने निर्धारित शर्तों को पूरा करने के पश्चात अपने विद्यालय को अपनी सम्बन्धता प्रदान करेंगे।
- 2) विद्यालय प्रबंधन को निम्नलिखित शर्तें अतिव्यक्त अति शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 एवं इनसे संबंधित मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार / मानव संसाधन विकास विभाग, आरबैंड सरकार द्वारा निर्गत नियमवाली अध्यापक शिक्षा - निदेशों को पूर्णतः विधि सम्मत अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- 3) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी समय - समय पर आवश्यकत के अनुरूप विद्यालय का पर्यवेक्षण कर सकेंगे कि विद्यालय द्वारा उक्त निर्धारित मापदण्डों का विधि सम्मत अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं।
- 4) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बन्धता प्राप्त करने हेतु आवेदित विद्यालयों को इनसे संबंधित बोर्ड द्वारा निर्गत नियमवाली अध्यापक शिक्षा में निर्धारित अर्हता एवं उपर्युक्त अधुदेशों का उल्लंघन करने पर विद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार मानव संसाधन विकास विभाग, आरबैंड सरकार का होगा। ऐसी स्थिति में इस आशय की सूचना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी की जाएगी।

अनुलग्नक - द्योक्त।

विश्वासराजन,

 निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
 - सह - संयुक्त सचिव
 आरबैंड, रांची
 रांची, दिनांक 13/04/2013

आपकांक - 12/3. 6 - 16/2012/36

प्रतिलिपि : मानवीय विभागीय मंत्री के अर्पित सचिव/विभागीय प्रमुख सचिव के सचिव/ क्षेत्रीय शिक्षा उपा निदेशक, उत्तरी छोटानगपुर प्रमंडल, हजारीबाग/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद/ सचिव/ गौरव आवासिय उच्च विद्यालय, खलीडीह, थाना थोकाने, आरबैंड 827013 को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।